तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	खण्ड पीठ **श्री मोहनलाल नेहरा, सदस्य** **श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य** उपस्थित :– श्री अभिषेक शर्मा, अभिभाषक अपीलार्थी रेस्पोंडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित, एकतरफा कार्यवाहीं **निर्णय** यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22–1–03 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी वादी ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखंड अधिकारी राजसमंद के समक्ष बाबत् विवादित आराजी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बोराज का खेडा स्थित साबिक आराजी 167 ता 171 जिसके हाल नंबर 263 ता 267 कुल किता 5 रकबा 3 बीधा 13 बिस्वा दर्ज है। उपरोक्त भूमि में से 1/4 हिस्सा विपक्षी सं.1 से 20 के पूर्वजों के नाम दर्ज था जो वर्तमान में उनके पुत्रों के नाम दर्ज है। परंतु इनके मूल पुरूष उदा थे जिनका भाई प्रताप था और विवादित आराजी भाई बंटवाडे में प्रताप के हिस्से में आई। जिसे उसने जरिये रजिर्स्टड विक्रय पत्र संवत् 2002 में वादी को विक्रय कर दी तब से विवादित आराजी पर वादी काबिज काश्त है। किंतु रेस्पोडेंट प्रतिवादी उसके कब्जेकाश्त में दखलदांजी करते है। अतः वादी को विवादित आराजी का खतोदार काश्तकार घोषित करते हुये प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे। परीक्षण न्यायालय उपखंड अधिकारी ने उभय पक्ष को सुन कर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31–12–94 द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया। जिससे असन्तुष्ट हो कर अपीलांट् ने प्रथम अपील, राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर के यहां प्रस्तुत की। जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 22–1–03 द्वारा निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय न्याय, नियम एवं रिकोर्ड से	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	परे है। विवादित आराजी राजस्व रिकोर्ड में 1/4 हिस्सा उदा पिता चतरभुज ढोली तथा 3/4 हिस्सा वादी के नाम दर्ज है। विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जाकाश्त क्रय दिनांक से लगातार लगभग 40 वर्षो से चला आ रहा है किंतु विवादित आराजी प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। जिसका फायदा उठाकर प्रतिवादीगण वादी के कब्जेकाश्त में दखलांदाजी करते है। कब्जा मौके पर अपीलांट वादी का निरंतर चला आ रहा है। प्रताप ने अपना हिस्सा संवत् 2002 में बेचा है, जिसे प्रतिवादी भी स्वीकारते है। कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी वादी विवादित आराजी के खातेदारी काश्तकार हो चुके है। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों की अनदेखी कर अपीलांट के पक्ष में विवादित आराजी बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा किया जाना न्यायाचित होते हुये भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने वादी का वाद निरस्त करने में गंभीर त्रुटि की है। अतः दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाकर यह द्वितीय अपील स्वीकार की जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों में वादी अपने पक्ष को साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। वादी का संवत् 2012 के पूर्व से लगातार विवादित खसरा नंबरान पर कब्जाकाश्त चला आ रहा हो, यह पूर्ण रूपसे वादी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों में अथवा हमारे समक्ष सिद्ध करने में सफल नहीं हो पाया। प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार उदा का 1/4 हिस्सा तत्कालीन राजस्व अभिलेख में इंद्राज से मेल नहीं खाता है। वादी अपीलांट द्वारा वांछित दादरसी का कोई समुचित आधार नहीं होने से परीक्षण न्यायालय ने वादी का वाद आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये पूर्ण विवेचन व विश्लेषण के साथ डिक्री किये जाने योग्य नहीं पाते हुये खारिज किया है जिसका समर्थन अपीलीय न्यायालय द्वारा भी किया गया है। वादी अपीलांट प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 से खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहता है, किंतु उसने दोनों अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उसके वाद में अंकित कथन की पुष्टि होती हो। दोनों अधीनस्थ न्यायालयो ने उभय पक्ष को सुन कर राजस्व अभिलेख के आधार पर पूर्ण विवेचन व विश्लेषण करते हुये वादी अपीलार्थीग का वाद नियमानुसार सही खारिज किया है। हमारी सुविचारित राय में दोनो अधीनस्थ	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य निर्णयों में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी हमारे समक्ष दौराने बहस ऐसी कोई विधिक अथवा तात्विक त्रुटि जाहिर नहीं कर पाये जिसके आधार पर द्वितीय अपील के दौरान उक्त निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः हस्तगत अपील खारिज किये जाने योग्य है। परिणामतः हस्तगत द्वितीय अपील एतद्द्वारा खारिज की जाती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । (मनोज कुमार नाग) सदस्य (मोहनलाल नेहरा) सदस्य	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए